ऑल इंडिया बैंक इम्प्लाईज एसोसिएशन

12वें द्विपक्षीय समझौते की मुख्य विशेषतायें

वेतनमान (8088 बिन्दुओं पर विलय)		अवरोध वेतनवृद्धि के साथ
लिपिक	24050 - 1340/3 - 28070 - 1650/3 - 33020 - 2000/4 - 41020 - 2340/7 - 57400 - 4400/1 - 61800 - 2680/1 - 64480	लिपिक : 11 – 2 वर्ष में एक बार रू. 93960
अधीनस्थ	19500 - 665/4 - 22160 - 830/5 - 26310 - 990/4 - 30270 - 1170/3 - 33780 - 1345/3 - 37815	अधीनस्थः 11–2 वर्ष में एक बार रू. 52610

2016 सूचकांक के 123.03 से अधिक पर डी.ए. @ 1% प्रति बिंदु

डी ए तिमाही	औसत	11वाँ %	12वाँ %
नवम्बर–22	130.47	38.92%	7.44%
फरवरी–23	132.43	41.16%	9.40%
मई–23	132.93	41.72%	9.90%
अगस्त–23	135.10	44.24%	12.07%
नवम्बर–23	138.80	48.51%	15.77%
फरवरी–24	138.76	48.51%	15.73%

विशेष वेतन – लिपिक	11वाँ	नव.-22	अप्रै.-24	
सिंगल विन्डो ऑपरेटर	1250	1680	1970	*सभी लिपिक और एसडब्ल्यूओ–ए अप्रै.–24 से रू.1965 विशेष वेतन के साथ सीएसए होंगे*
प्रधान रोकड़िया II	1940	2605	3050	
विशेष सहायक	2920	3925	4600	
विशेष वेतन – अधीनस्थ				
बिल संग्रहकर्ता / सशस्त्र गार्ड	590	795	कर्तव्यों में कोई बदलाव नहीं	
दफ्तरी	850	1145		
हैड प्यून	1120	1505		
इलेक्ट्रिशियन/एसी प्लांट हैल्पर	3090	4150		
ड्राइवर	3590	4825		

नियत व्यक्तिगत वेतन (सभी क्षेत्र)

श्रेणी	*क्यूआरएस. नहीं*	*क्यूआर एस.*	*वृद्धि*
लिपिक	3155	2880	2680
अधीनस्थ	1585	1445	1345

अवकाश किराया छूट

	4 वर्ष	*2 वर्ष*
लिपिक	4700	2350
अधीनस्थ	5400	2700

सड़क यात्रा दर रू. 11/– प्रति किमी.

एलएफसी / अस्पतालीकरण – आश्रित आय रू. 18000/–

विशेष रेलों जैसे राजधानी / शताब्दी / तेजस / वंदे भारत / अमृत भारत आदि द्वारा किराये (लक्जरी रेल के अलावा) की अनुमति होगी।

जहां किसी कर्मचारी ने निर्धारित समय के अनुसार एलएफसी / अवकाश के लिए आवेदन किया है, उसे मंजूरी दे दी गई है और जब रेल टिकटों की अग्रिम बुकिंग संभव नहीं है, तो तत्काल / प्रीमियम तत्काल के रूप में खरीदे गए टिकटों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

जहां किसी कर्मचारी ने अग्रिम में एलएफसी / अवकाश के लिए आवेदन किया है और टिकट भी बुक किया है और बैंक द्वारा एलएफसी को अस्वीकार / स्थगित कर दिया गया है, तो रद्दीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

स्नातक / प्राविधिक शिक्षा वेतन

स्नातक / पीक्यूपी – 1 वर्ष बाद – लिपिक एवं अधीनस्थ	820
स्नातक / पीक्यूपी – 2 वर्ष बाद – लिपिक एवं अधीनस्थ	1640
स्नातक / पीक्यूपी – 3 वर्ष बाद – लिपिक एवं अधीनस्थ	2460
स्नातक / पीक्यूपी – 4 वर्ष बाद – लिपिक	3280
स्नातक / पीक्यूपी – 5 वर्ष बाद – लिपिक	4100

चिकित्सा बीमा नीति / नकदीहीन चिकित्सा योजना :

कर्मचारियों / सेवानिवृत्तों के लिए मौजूदा योजना जारी रहेगी – किसी भी सुधार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए अलग उप–समिति का गठन किया जायेगा

विशेष भत्ता (डी ए सहित)

मूल वेतन का 26.50%। इस पर डीए देय है।

मकान किराया भत्ता	क्यूआरएस. के लिए वसूली– प्रथम चरण का 0.15%
सभी क्षेत्रों के लिए 10.25%	
नई पेंशन योजना	**भविष्य निधि**
पुनरीक्षित वेतन पर 14% + डीए	पुनरीक्षित वेतन पर 10%

परिवहन भत्ता (डीए सहित)

लिपिक, अधीनस्थ एवं अंशकालिक कर्मचारियों के लिए रूपये 850/– प्रतिमाह + डीए

पर्वतीय एवं ईंधन भत्ता – 8% अधिकतम 2850, 4% अधिकतम 1150, 3% अधिकतम 950

वार्षिक चिकित्सा सहायता : रू. 2,830/– प्रति वर्ष

कर्मचारियों के लिए आवधिक चिकित्सा जांच – जहां भी उपलब्ध नहीं है, प्रत्येक बैंक में योजना विकसित की जाएगी।

सभी कर्मचारियों के लिए वार्षिक नेत्र जांच – प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष अधिकतम 500 रूपये की प्रतिपूर्ति

स्थानांतरण पर टूट–फूट शुल्क : लिपिक रू. 2000 (रसीद) रू. 1400 (घोषणा) अधीनस्थ रू. 1400 और रू. 1000

जेएआईआईबी / सीएआईआईबी उत्तीर्ण करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिकों की तरह पीक्यूपी मिलेगा।

स्थानापन्न वेतन : जेएम I अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले लिपिक को या तो लगातार 4 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए अथवा महीने में कुल 4 दिनों के लिए, स्थानापन्न व्यक्ति के मूल वेतन का 15% भुगतान किया जायेगा।

धुलाई भत्ता – रू. 300/– प्रतिमाह		समग्र यात्रा में दो बार तक ब्रेक–इन यात्रा की अनुमति दी जाएगी और पात्र दूरी तक कर्मचारी द्वारा वास्तविक खर्च किए गया रेल किराया प्रतिपूर्ति किया जायेगा।
साईकिल भत्ता – रू. 150/– प्रतिमाह		
विराम भत्ता– लिपिक–1500, 1350, 1000 – अधीनस्थ– 1100, 900, 600		
रसीद प्रस्तुत करके आवास व्यय की प्रतिपूर्ति : लिपिक – 3000, 2500, 2000 – अधीनस्थ – 1500, 1250, 1000 इसके अतिरिक्त भोजन व्यय के लिए डाइम/विराम भत्ते का 35%	जब किसी कामगार कर्मचारी को अनुरोध के अलावा किसी अन्य कारण से स्टेशन से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, तो वह अन्यथा घोषणा के आधार पर देय एचआरए के 150% तक मकान किराए की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है।	निर्धारित विकलांगता वाले कर्मचारी के साथ जाने वाले एस्कॉर्ट के लिए एलएफसी सुविधा।
प्रतिनियुक्ति भत्ता : 7.75% अधिकतम 3750, स्थानीय 4% अधिकतम 1875		

अवकाश में सुधार :

अवकाश की अस्वीकृति का कारण दर्ज करने के लिए मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के लिए एचआरएमएस में एक प्रावधान किया जाएगा।
सेवानिवृत्ति के समय 255 दिन तक के अवकाश का नकदीकरण।
विशेषाधिकार अवकाश के दिनों की संख्या की गणना के लिए, आकस्मिक अवकाश के अलावा, अनिवार्य अवकाश और शोक अवकाश को बाहर रखा जाएगा।
एकल पुरूष अभिभावक को चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के अधीन अपने 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बीमारी के लिए रूग्णावकाश लेने की अनुमति दी जाएगी।
कर्मचारी अपने 15 वर्ष तक के विशेष बच्चे की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रति वर्ष अधिकतम 10 दिनों के लिए रूग्णावकाश का लाभ उठा सकते हैं।
महिला कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए बिना प्रति माह एक दिन का रूग्णावकाश लेने की अनुमति होगी।
रूग्णावकाश की पात्रता – सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीना, अधिकतम 720 दिन।
बांझपन के इलाज के लिए भी मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है।
एक प्रसव में 2 से अधिक बच्चों को जन्म देने की स्थिति में 12 माह तक का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
कर्मचारियों को परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, बच्चे, माता–पिता और सास–ससुर) के निधन पर शोक अवकाश दिया जायेगा।
लीव बैंक योजना शुरू की जाएगी – विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।
58 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए, कार्यस्थल के अलावा किसी अन्य केन्द्र में पति/पत्नी के अस्पतालीकरण के लिए रूग्णावकाश अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए दिया जाएगा।
2सरा बच्चा गोद लेने के लिए मातृत्व अवकाश।
एक वर्ष में 4 बार आधे दिन के लिए आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है, जिसमें से 2 बार सुबह और 2 बार दोपहर में।
मृतजात या जन्म के 28 दिनों के भीतर शिशु के निधन के मामले में 60 दिन तक का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
जो कर्मचारी विभागीय जांच कार्यवाही में रक्षा प्रतिनिधि हैं, उन्हें किसी कर्मचारी की बचाव प्रस्तुतियां तैयार करने के उद्देश्य से एक दिन का विशेष अवकाश दिया जा सकता है। ऐसा विशेष अवकाश एक वर्ष में अधिकतम दस अवसरों के लिए दिया जाएगा।
पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति सदस्यों के लिए विशेषाधिकार अवकाश का लाभ उठाने के लिए 10 दिनों की अग्रिम सूचना माफ की जाए।
एआईबीईए, एनसीबीई, आदि के प्रमुख पदाधिकारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 25 दिनों तक का विशेष अवकाश दिया जाएगा।

अन्य :

ओवरटाम काम के लिए देय राशि की गणना के लिए, अभिव्यक्ति ''परिलब्धियां'' का अर्थ मूल वेतन, विशेष वेतन, पीक्यूपी, विशेष भत्ता, एचआरए और परिवहन भत्ता का योग होगा।
वर्तमान विशेष वेतन पद 1 अप्रैल 2024 से पुर्ननिर्दिष्ट किए जायेंगे। लिपिक ग्राहक सेवा सहयोगी के रूप में, प्रधान रोकड़िया वरिष्ठ ग्राहक सेवा सहयोगी (नकद) के रूप में, और विशेष सहायक विशेष ग्राहक सेवा सहयोगी के रूप में। अधीनस्थ कर्मचारी कार्यालय सहायक के रूप में, दफ्तरी वरिष्ठ कार्यालय सहायक के रूप में और हैड प्यून विशेष कार्यालय सहायक के रूप में।
लिपिकीय कर्मचारियों के पारित करने के अधिकार (पासिंग पावर) में 1 अप्रैल, 2024 से संशोधन किया जाएगा और अतिरिक्त के लिए विशेष वेतन में वृद्धि का भुगतान उसी तारीख से किया जाएगा। अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए, मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे।

पेंशनरों के लिए अनुग्रह राशि :

पेंशनरों को नवंबर, 2022 से अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।
अनुग्रह राशि अक्टूबर, 2022 के लिए पूर्ण मूल पेंशन + डीए को तालिका के अनुसार कारक से गुणा किया जाएगा और अगले उच्च या निम्न 100 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

कारक तालिका :

अवार्ड स्टाफ

4/5वाँ बीपीएस	*6वाँ बीपीएस*	*7वाँ बीपीएस*	*8वाँ बीपीएस*	*9वाँ बीपीएस*	*10वाँ बीपीएस*	*11वाँ बीपीएस*
1.1.86 से 31.10.92	*1.11.92 से 31.3.98*	*1.4.98 से 31.10.02*	*1.11.02 से 31.10.07*	*1.11.07 से 31.10.12*	*1.11.12 से 31.10.17*	*1.11.17 से 31.10.22*
0.17	**0.15**	**0.12**	**0.07**	**0.05**	**0.03**	**0.02**

अधिकारी

1/2सरा जेएन	*3सरा जेन*	*4था जेएन*	*5वाँ जेएन*	*6वाँ जेएन*	*7वाँ जेएन*	*8वाँ जेएन*
1.1.86 से 30.06.93	*1.7.93 से 31.3.98*	*1.4.98 से 31.10.02*	*1.11.02 से 31.10.07*	*1.11.07 से 31.10.12*	*1.11.12 से 31.10.17*	*1.11.17 से 31.10.22*
0.17	**0.15**	**0.12**	**0.07**	**0.05**	**0.03**	**0.02**

अनुग्रह राशि – स्पष्टीकरण – नवम्बर, 2022 से देय :

सेवानिवृत्ति	अक्टूबर 2022 में मूल पेंशन	अक्टूबर 2022 में डीए	पेंशन + डीए	लागू कारक	अनुग्रह राशि	पूर्णांकित
4/5वाँ बीपीएस	760	10,001	10,761	0.17	1,829	1,800
6वाँ बीपीएस	2,820	20,852	20,852	0.15	3,125	3,100
7वाँ बीपीएस	6,270	31,746	31,746	0.12	3,809	3,800
8वाँ बीपीएस	9,960	37,605	37,605	0.07	2,632	2,600
9वाँ बीपीएस	15,750	48,943	48,943	0.05	2,447	2,400
10वाँ बीपीएस	29,585	59,288	59,288	0.03	1,778	1,800
11वाँ बीपीएस	64,500	88,249	88,249	0.02	1,765	1,800

AIBEA

यू.पी. बैंक इम्प्लाईज यूनियन द्वारा प्रसारित